न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 27/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 28.9.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

भरतलाल मीणा आत्मज हरिनारायण मीणा जाति मीणा निवासी नयागांव पोस्ट दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी–राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मुकेश मीणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2017/160 दिनांक 11.1.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र के संदर्भ मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंषा नही की जाने से अपीलांट के आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश क्रमांक/न्याय/2017/160 दिनांक 11.1.2017 से निरस्त कर अपीलांट को सूचित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट बी0एस0एफ0 मे कानि0 के पद पर कार्यरत है अपीलांट छुट्टियों मे जब भी गांव आता है तो कृषि काश्त करता है तथा जिन्सों को मण्डी मे बेचने हेतु आना जाना पडता है। बढती हुई आपराधिक गतिविधियों के मध्य नजर उसको शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त कर त्रुटि की है। अतः नवीन अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अपीलांट बी0एस0एफ0 मे कानि0 के पद पर कार्यरत है अपीलांट जब भी गांव आता है तो कृषि काश्त करता है तथा जिन्सों को मण्डी मे बेचने हेतु आना जाना पडता है। बढती हुई आपराधिक गतिविधियों के मध्य नजर उसको शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः जेरअपील आदेश निरस्त कर नवीन अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट के नवीन शस्त्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से पत्रांक 9708 दिनांक 29.12.2018 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदक

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

को हथियार लाईसेंस दिये जाने का कोई उचित कारण नही पाये जाने से शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंसा नही की गई है। उक्त रिपोर्ट के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र को जेरअपील आदेश से निरस्त कर अपीलांट को सूचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र के संदर्भ मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक 9708 दिनांक 29.12.2018 से अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंसा नही की गई। उक्त रिपोर्ट के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को आदेश क्रमांक/न्याय/2017/160 दिनांक 11.1.2017 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि वह बी0एस0एफ0 मे कानि0 के पद पर कार्यरत है अपीलांट छुट्टियों मे जब भी गांव आता है तो कृषि काश्त करता है तथा जिन्सों को मण्डी मे बेचने हेतु आना जाना पडता है। बढती हुई आपराधिक गतिविधियों के मध्य नजर उसको शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। चूंकि अपीलार्थी बी0एस0एफ0 मे कार्यरत है मात्र छुट्टियों मे ही घर आ सकता है। अतः उक्त लधु अवधि के दौरान पृथक शस्त्र का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा भी अपीलार्थी को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंसा नही की गई है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा पारित जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/160 दिनांक 11.1.2017 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। अपीलार्थी सेवानिवृति उपरांत नये सिरे से आवेदन करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा